भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

## खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

राज्‍य सभा

अतारांकित प्रश्‍न संख्या 1434

5 दिसम्‍बर, 2011 के लिए प्रश्‍न

**भुखमरी और खाद्य सुरक्षा अधिनियम**

1434. डा0 ज्ञान प्रकाश पिलानिया:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खाद्य और कृषि संगठन के हाल के एक प्रतिवेदन के अनुसार वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत 88 देशों में से 66वें पायदान पर है;

(ख) क्या सरकार खाद्य और कृषि संगठन के प्रतिवेदन में देश के संबंध में उल्लिखित सभी पहलुओं की जांच करवाने और इस संबंध में सुधारात्मक उपाय करने का विचार करती है;

(ग) उक्त संदर्भ में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा (एनएफएस) अधिनियम और मौजूदा सार्वजनिक वितरण प्रणाली की क्या भूमिका होगी;

(घ) देश को भुखमरी, मुक्त बनाने के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) प्रस्तावित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में समाहित की जाने वाली बीपीएल जनसंख्या/परिवारों की अनुमानित संख्या क्या है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार)

(प्रो0 के0वी0 थॉमस)

**(क) और (ख):** जी नहीं। खाद्य और कृषि संगठन ने सूचित किया है कि उनके पास ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है जिसमें ग्‍लोबल हंगर इंडेक्‍स में 88 देशों में भारत को 66वें स्‍थान पर रखा गया है। तथापि, अंतर्राष्‍ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्‍थान ने अक्‍तूबर, 2011 में ग्‍लोबल हंगर इंडेक्‍स पर एक रिपोर्ट निकाली है। ग्‍लोबल हंगर इंडेक्‍स 3 समान भार वाले संकेतों पर आधारित है, जो (क) आबादी के प्रतिशत के रूप में कुपोषण के अनुपात द्वारा दर्शाए गए कुपोषित,(ख) कम वजन वाले 5 वर्ष की आयु से छोटे बच्‍चों के अनुपात द्वारा दिखाए गए कम भार वाले बच्‍चे, (ग) 5 वर्ष की आयु से छोटे बच्‍चों की मृत्‍यु दर द्वारा दिखाई गई बाल मृत्‍यु हैं। उपर्युक्‍त कोई भी घटक समाज के लोगों में भुखमरी अथवा उनके लिए खाद्यान्‍नों की अनुपलब्‍धता से डील नहीं करता है। अध्‍ययन की अन्‍य सीमाए हैं। उदाहरणार्थ यह 2004-09 वर्षों से लिए गए पिछले आंकड़ों पर आधारित है। भारत के संबंध में कुपोषितों का अनुपात वर्ष 2005 से 2007 के अनुसार है। इसके अलावा अध्‍ययन में निकाले गए निष्‍कर्षों की किसी वृहद पैमाने के प्राथमिक फील्‍ड सर्वेक्षण द्वारा परीक्षण जांच अथवा वैधता का सत्‍यापन नहीं किया गया है। सूचकांक की गणना 122 देशों के की गई थी इसमें भारत का स्‍थान 81 देशों में 67वां है।

...........2.....

- 2-

**(ग),(घ) और (ङ):** सरकार लोगों के लिए उचित मूल्‍यों पर अच्‍छी गुणवत्‍ता की खाद्यान्‍नों की पर्याप्‍त मात्रा की पहुंच सुनिश्‍चित करके मानव जीवन चक्र दृष्‍टिकोण में खाद्य और पोषाहार सुरक्षा प्रदान करने के लिए राष्‍ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक अधिनियमित करने का प्रस्‍ताव कर रही है ताकि लोग सम्‍मानपूर्वक जीवन जी सकें। इस प्रस्‍तावित विधेयक से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कवरेज ग्रामीण आबादी के 75% तक जिसमें कम से कम 46% आबादी प्राथमिकता परिवारों की होगी और कुल शहरी आबादी के 50% तक जिसमें कम से कम 28% की आबादी प्राथमिकता वालों परिवारों की होगी, तक बढ़ेगा। प्रस्‍तावित विधेयक के प्रारूप में यह प्रावधान है कि केन्द्र सरकार समय-समय पर अधिनियम के अधीन परिवारों की पात्रता के प्रयोजनार्थ बाहर करने के मानदंड सहित प्राथमिकता के परिवारों और आम परिवारों की पहचान करने के लिए दिशा-निर्देश विहित कर सकती है। विधेयक में गर्भवती महिलाओं और स्‍तनपान कराने वाली माताओं तथा बच्‍चों को पोषाहार समर्थन देने और बेसहारा, बेघर, आकस्‍मिकता और आपदा प्रभावित व्‍यक्‍तियों, भूखमरी में जीवनयापन करने वाले व्‍यक्‍तियों आदि के लिए पात्रता हेतु भी प्रावधान है।

इसके अलावा, खाद्य सुरक्षा सुनिश्‍चित करने और भारत को भुखमरी मुक्‍त बनाने के लिए फिलहाल सरकार प्रत्‍येक माह अंत्योदय अन्न योजना परिवारों सहित गरीबी रेखा से नीचे के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को अत्‍यधिक राजसहायता प्राप्‍त मूल्‍यों पर खाद्यान्‍नों का आबंटन करती है। केन्‍द्रीय पूल में खाद्यान्‍नों की उपलब्‍धता पर निर्भर करते हुए गरीबी रेखा से ऊपर की श्रेणी के लिए भी खाद्यान्‍नों का आबंटन किया जाता है। सरकार मध्‍याह्न भोजन योजना, एकीकृत बाल विकास सेवा स्‍कीम, अन्‍नपूर्णा स्‍कीम, ग्रामीण अनाज बैंक आदि जैसी खाद्यान्‍न आधारित अन्‍य कल्‍याण योजनाएं भी क्रियान्‍वित कर रही है।

\*\*\*\*\*\*\*